# ykMyh y{eh ;kstuk

*mn~ns'; %&*

- बाल विवाह में कमी ।
- बालिकाओं मे षिक्षा स्तर एवं आर्थिक स्तर में सुधार
- बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार ।
- परिवार नियोजन को प्रोत्साहन, विषेषतः दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म की चाह में कमी ।
- जनसंख्या वृद्धि दर में कमी ।
- बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के उद्‍देश्य से।

ikO/kku%&

1. जन्म के समय पंजीयन पर 6000 की एन.एस.सी. लगातार 5 वर्षो तक।
2. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रूपये 2000/— कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 4000/— और कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 7500/— का एक मुश्त भुगतान किया जावेगा।
3. 12वीं में प्रवेश लेने पर 200 रूपये प्रतिमाह
4. 21 वर्ष की आयु पूर्ण एवं 12वीं उत्तीर्ण होने पर एक मुश्त राशि का भुगतान की कुल राशि एक लाख से अधिक होगी परन्तु बालिका का विवाह 18 वर्ष के पश्चात् हुआ हो।

dkSu ykHk ys ldrk gS%&

1. जिनका जन्म दिनांक 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुआ हो।
2. प्रदेश के किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो। पंजीयन आंगनबाड़ी केन्द्र में 1 वर्ष के अन्दर होना चाहिए।
3. जिनके माता—पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
4. पालक आयकर दाता न हो और उनकी दो या दो से कम संतान हो तथा जिनके माता—पिता में एक को परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक होगा।

   या

   अनाथालय में बालिका निवासरत् हो या किसी के द्वारा दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया गया हो।
5. जुड़वा बालिका को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।
6. दिनांक 1 अप्रैल 2008 के पश्चात् जन्मी प्रथम बालिका को लाभान्वित किया जायेगा।

;kstuk dk ykHk dSls ysa %&

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
2. आवेदन परियोजना कार्यालय या आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राप्त किये जा सकते है।
3- हितग्राही निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्र में आवेदन करें।
4- आयकर संबंधित प्रमाण पत्र/बी0पी0एल0कार्ड/परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र।